अध्याय II : लेखापरीक्षा संरचना

2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

(i) विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन, कुशल आईटी प्रणाली है और अवैध खनन की जांच और रोकथाम के लिये नवीनतम तकनीक और जानकारी का उपयोग किया गया है;

(ii) अवैध खनन की जांच और रोकथाम के लिए खान और खनिजों के प्रशासन को नियमित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा था और

(iii) खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी नियंत्रण मौजूद थे जिससे कि पर्यावरण और पारिस्थितिक विषयों का ठीक से निपटान किया जा सके ।

2.2 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957,
- खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017,
- खनिज रियायत नियम, 1960,
- परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के अलावा अन्य खनिज रियायत नियम 2016,
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986,
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017,
- राजस्थान खनिज नीति,
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986,
- राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2007,
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्थापना के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति और
- इनके तहत जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र आदि तथा खान मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश ।

2.3 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र रेत खनन के प्रकरणों को छोडकर अप्रधान खनिजों के अवैध खनन की गतिविधियों का पता लगाने के लिये मौजूदा तंत्र एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा शुरू किये गये उपचारात्मक कार्यो की जांच करना है । गूगल अर्थ प्रो का उपयोग करते हुए रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक के उपयोग के माध्यम से अवैध खनन के मामलों की पहचान की गई । विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों और अवैध खनन की पहचान के आंकड़े एकत्र करने के अलावा, उपग्रह चित्रों से देखे गए खनन क्षेत्रों का सरकार द्वारा दिए गए खनन पट्टों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है ।

अवैध खनन के प्रकरणों की संख्या और आरोपित शास्ति के आधार पर 49 खण्ड कार्यालयों में से, पांच खण्ड कार्यालयों[1] के एक नमूने का चयन, जांच के लिए किया गया । चयनित खण्डों में से, पांच तहसीलों को उपग्रह चित्रों (प्रत्येक चयनित खण्ड कार्यालय से एक तहसील) के माध्यम से स्थानिक अध्ययन के लिए चुना गया। इसके अलावा विभाग के कार्यकरण की जांच के लिए सतर्कता कार्यालयों[2] और अधीक्षण खनि अभियंता कार्यालयों[3] का भी चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने चयनित खण्डों के कुल 1,762 पट्टों में से 514 अर्थात् 29 प्रतिशत पट्टों की नमूना जाँच की।

विभाग द्वारा पता लगाये गये मामलों और मौजूद प्रणाली से संबंधित फाइलों/सूचनाओं के आंकड़ों की समीक्षा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए की गई । इसके अलावा विभागीय ऑनलाइन प्रणाली की सहायता से माह अक्टूबर 2021 तक विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की जांच की गई और इस रिपोर्ट में शामिल किया गया । चयनित तहसीलों में खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर अवैध खनन के क्षेत्र की पहचान करने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया गया ।

इसके अलावा, उपग्रह चित्रों की मदद से चिन्हित अवैध खनन बिंदुओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) विभाग के प्रतिनिधियों के साथ किया गया । अवैध खनन को रोकने के लिये मौजूदा प्रणाली, इस उद्देश्य के लिए स्टाफ की तैनाती और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों की भी समीक्षा लेखापरीक्षा ने की ।

प्रमुख शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम के साथ एक प्रारम्भिक बैठक 18 जनवरी 2021 को आयोजित की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया ।

उप शासन सचिव, खान और पेट्रोलियम,डीएमजी और विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक समापन बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों और सिफारिशों पर चर्चा की गई । समापन बैठक के दौरान और बाद में ड्राफ्ट रिपोर्ट (फरवरी 2022) के जवाब में प्राप्त विभाग/सरकार के उत्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है ।

2.4 खनिज और अवैध खनन के प्रकरणों से राजस्व

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्व संग्रहण की चर्चा तालिका 2.1 में की गई है:

तालिका 2.1

राजस्व और अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	#राज्य सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व	#राज्य को खनिज से प्राप्त कुल राजस्व	कुल राजस्व में प्राप्त राजस्व का प्रतिशत	*अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के मामले
2015-16	53,640.79	3,782.13	7.05	4,909
2016-17	55,987.23	4,233.74	7.56	4,983

[1] खण्ड कार्यालयः अलवर, कोटपूतली, मकराना, नीमकाथाना और सीकर ।

[2] सतर्कता कार्यालयः अलवर, कोटपूतली, मकराना, नीमकाथाना, सीकर और तिजारा ।

[3] अधीक्षण खनि अभियन्ता कार्यालय जयपुर ।

वर्ष	#राज्य सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व	#राज्य को खनिज से प्राप्त कुल राजस्व	कुल राजस्व में प्राप्त राजस्व का प्रतिशत	*अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के मामले
2017-18	66,339.13	4,521.52	6.81	8,524
2018-19	75,983.35	5,301.48	6.97	16,853
2019-20	74,959.14	4,579.09	6.11	13,217
योग	**3,26,909.64**	**22,417.96**	**6.86**	**48,486**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

***** स्रोतः खान एवं खनिज विभाग का वेब पोर्टल (डीएमजीओएमएस)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल राजस्व में प्राप्त राजस्व का प्रतिशत 7.56 और 6.11 के बीच था । वर्ष 2019-20 को छोड़कर अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है । यह दर्शाता है कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने की प्रणाली में कमियां हैं और इन पर विभाग को उचित ध्यान देने और प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है जैसा कि आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है ।

2.5 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में खान एवं भूविज्ञान विभाग, इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है ।